**परम्परागत जल प्रबंधन तकनीक**

3485. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र" नाम के एक स्वयंसेवी अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए परम्परागत जल प्रबंधन तकनीक संबंधी प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल नीति (1987) में उल्लेख है कि आवासक्षेत्र उपचार (कैचमेंटट्रीटमेंट) एवं प्रबंध, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय पहलू प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन और कमान क्षेत्र विकास सहित परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत एवं बहु-विषयक दृष्टिकोण होना चाहिए। देश में जल संसाधनों के विकास व प्रबंध की वर्तमान कार्यनीति, बृहद, मध्यम व लघु सतही जल भण्डारण, व्यपवर्तन एवं लिफ्ट योजनाओं गहरे/उथले ट्यूबवेलों एवं खुले कुओं द्वारा भू जल विकास और माइक्रो जल विभाजक विकास योजनाओं सहित विकल्पों के मिश्रण पर आधारित है। ऊपर उल्लिखित विकल्पों में प्रत्येक का अपना स्थान है और देश में जल संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता और प्रबंध के लिए इन सभी विकल्पों के विवेकपूर्ण सहयोग (ज्युडिशियस मिक्स) की जरूरत है।

**मध्य प्रदेश में भूजल-संरक्षण**

3486. **श्री राघवजी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में गिरते भू-जलस्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को भू-जल योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कथित प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उनके कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):** (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 में छः जिलों अर्थात राजनंदगांव, धार, मंडला, करहल (मुरैना), शाजापुर एवं राजगढ़ में भू-जल पुनर्भरण के वास्ते उनके द्वारा तैयार की गई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3257.39 लाख रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव भेजा था। इसके साथ खांडवा जिले में बोलाना परिश्रवण तालाब पर परिस्त्रवण तालाब (परकोलेशन टैंक) एवं गुली प्लगों के निर्माण के लिए 10.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना भी दिसम्बर, 1996 में मिली है।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने पायलट आधार पर भू-जल पुनर्भरण में राज्यों की सहायता करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना बनाई है। यह योजना अभी परामर्श स्तर पर है। इस योजना के अनुमोदित हो जाने के पश्चात राज्य सरकार की कुछ परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

**Misappropriation of Funds Allocated for Indravati Dam Project**

3487. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to conduct an inquiry into the misappropriation of funds by the contractors and officers of the Indravati Dam Project in Kalahandi district of Orissa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Ministry of Water Resources is not aware of any misappropriation of funds by the contractors and officers of the Indravati Dam Project in Kalahandi district of Orissa.

(b) Does not arise.